

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,  
विशाल कॉम्प्लैक्स,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जनपद-आगरा, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, बदायूं, बलरामपुर, गोण्डा, कौशाम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज, रामपुर, अम्बेडकर नगर, जालौन, देवरिया, मथुरा, उन्नाव, अमरोहा, बागपत, बलिया, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, एवं सुल्तानपुर।

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2016-17/6210-46 दिनांक 7.10.2016/09/2016

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने एवं क्रियाशील किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों के जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) चरणवद्ध रूप से क्रियाशील की जा रही हैं। यह इकाईयां चिकित्सालयों का अभिन्न अंग है।

सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) की क्रियाशील बनाये रखने तथा निमार्णाधीन इकाईयों को क्रियाशील करने हेतु इस कार्यालय से प्रेषित पत्रों के माध्यम से धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे इनका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

क्र.सं.	जनपद का नाम	एस0पी0एम0यू0 से प्रेषित पत्र संख्या
2	बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, गोण्डा, कौशाम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज एवं रामपुर।	पत्र संख्या- एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015-16/7301-15, दिनांक 13.10.2015
3	जनपद-आगरा, अमरोहा, बागपत, बलिया, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानुपर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, इटावा एवं सुल्तानपुर।	पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015-16/7300-23, दिनांक 13/10/2015 एवं पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015-16/11916-23, दिनांक 31.03.2016
	इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ एवं कानुपर नगर।	पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015-16/11915-4, दिनांक 31.03.2016
4	अम्बेडकर नगर, जालौन, देवरिया, मथुरा उन्नाव।	पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015-16/7299-5, दिनांक 31.03.2016

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की आर0ओ0पी0 में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कॉस्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

**वित्त पोषण**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

### 1- Operational Cost

FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का 60 प्रतिशत औषधियों, कन्जूमिबिल्स, डायपर, न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु शिशु मिल्क पाउडर (Govt. of india FBNC Operational Guidelines के अनुसार) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि तथा 40 प्रतिशत धनराशि से ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे-मोटे उपकरण के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार क्रय किये जायें प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के

धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु संलग्न तालिका के अनुसार इकाईवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

ऑपरेशनल कॉस्ट मद में ₹0 1.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार एस0एन0सी0यू0 के निकट कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई स्थापित करने हेतु तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि के लिये एस0एन0सी0यू0 के निकट के0एम0सी0 लिये एक अलग कमरा या पृथक स्थान सुनिश्चित करें। जिसमें कम से कम 3 से 6 माताओं के बैठने का स्थान हो। कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि हेतु धनराशि का व्यय निम्नानुसार व्यय किया जायेगा।

One Time Establishment Cost for KMC Space				
S.N.	Item	Unit Needed	Unit Cost	Total Cost
1	Easy Chair (Reclining with foot support)	3	5000	15000
2	Air Conditioner,	1	40000	40000
3	Heater, (Oil Emersion) Room thermometer, Digital Thermometer, wall clock	1 each	11000	11000
*Recliner beds and Almirah , one chair and table , screen slippers for attendants to be ensured from regular supply				
Recurring Cost for KMC Activities				
S.N.	Item	Units Needed	Unit Cost	Total Cost
1	Feeding Equipment (small steel Container with lid, spoon, Paladay	20	200	4000
2	Gown for mothers	50	200	10000
3	Baby wraps with fur/ wool	70	200	14000
4	Clothes for newborn (Disposable , cap, socks, medium size towel)	40 caps, socks, towel	200	6000
*Feeding tubes, resuscitator, soap, cotton, diapers to be ensured from regular Hospital supply				

## 2- Human Resource-

- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code- A.8.1.3.5.d पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के संविदा बालरोग विशेषज्ञों-एम0डी0-पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0 हेतु प्रति इकाई 3 बालरोग विशेषज्ञ हेतु 144 बालरोग विशेषज्ञों के 3 माह के मानदेय हेतु ₹0 71500/- प्रतिमाह की दर से धनराशि का जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-A.8.1.1.2.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में संविदा स्टॉफ नर्सों प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु पूर्व से कार्यरत 8 स्टाफ नर्सों को ₹0 19060/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी एवं शेष 376 स्टाफ नर्सों को ₹0 18150/- प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code -A.8.1.11.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में डाटा इन्ट्री आपरेटर- (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 1 डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय हेतु 48 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 3 माह का मानदेय ₹0 12000/- प्रतिमाह की दर से जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-A.8.1.11.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 3 सफाई कर्मी एवं 3 वार्ड आय के 144 सफाई कर्मी एवं 144 वार्ड आया के 3 माह का मानदेय हेतु ₹0 6400/- प्रतिमाह की दर से जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-A.8.1.11.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में नवीन पद सिक्चुरटी गार्ड (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 3 सिक्चुरटी गार्ड के 144 नवीन पदों हेतु ₹0 6400/- प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न

तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी

### 3- SNCU डाटा मैनेजमेन्ट-

वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 के FMR Code-A.2.2.1.1 पर क्रियाशील इकाईयों में SNCU-Data Management हेतु रू0 1,60,000/- की धनराशि प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार 22 इकाईयों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। शेष इकाईयों हेतु धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

- SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि हेतु रू0 60,000/- की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल का मासिक व्यय कम्प्यूटर प्रिन्टर का रख-रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा।
- SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि हेतु Printing cost for SNCU stationery & Case Recording format हेतु रू0 1,00,000/- की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे Case Record, Monitoring sheet/treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवंटित धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

#### नोट:-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
9. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।

11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

#### 4- संविदा मानव संसाधन हेतु निर्देश-

1. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
2. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलटीवेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली/अन्य समकक्ष चिन्हित चिकित्सालय में दिया जाना प्रस्तावित है।

यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

#### 5- डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व-

भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सिक न्यूबोर्न इकाईयों हेतु (SNCUs) हेतु नियुक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा ही जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय में संचालित "पोषण पुनर्वास केन्द्र" (NRCs) का Data भी online फीड करेंगे तथा इकाई की Database का रखरखाव, online Reporting, चिकित्सालय में संचालित बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करेंगे एवं समय-समय पर राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

#### 6- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश-

- वित्तीय वर्ष के दौरान एस0एन0सी0यू0 में अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र करना सुनिश्चित करें।
- संविदा स्टाफ नर्स :- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफ नर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। जिनका मानदेय रू0 18150/- प्रति माह की दर से देय होगा। (सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) में प्राथमिकता के आधार पर महिला स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाये)
- डाटाइन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)- भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में डाटाइन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने हैं। डाटाइन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000/- प्रति माह की दर से देय होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक पास एवं कम्प्यूटर में ओ0 लेवल डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र (one year certificate course computer application or O- Level Computer Diploma) अनिवार्य है, कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर सफाई कर्मी/वार्ड आया/सिक्चुरटी गार्ड को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई 3 सफाई कर्मी, प्रति इकाई 3 वार्ड आया, प्रति इकाई 3 सिक्चुरटी गार्ड की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति रू0 6400.00 प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार ही की जाये। संविदा कर्मियों के चयन हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय।

## 7- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन -

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक आनलाईन रिपोर्टिंग कराया जाना सुनिश्चित करें। एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई-मेल sncreportup@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि अपने जनपद में प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,



(आलोक कुमार)

मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2016-17/

दिनांक /09/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, जनपद-आगरा, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, कानपुर नगर, मा0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर कानपुर नगर, डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, गोमती नगर लखनऊ, लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय कानपुर रोड, लखनऊ, बाराबकीं बदायूं, बलरामपुर, गोण्डा, कौशम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज, रामपुर, अम्बेडकर नगर, जालौन, देवरिया, मथुरा, उन्नाव, अमरोहा, बागपत, बलिया, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुज्जफर नगर, रायबरेली, एवं सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. ऑफिसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)

महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

SNCU New Districts Operational Cost & Contractual IHR Funds allocation 2016-17

Sl. No.	Name of District	S.N.	Name of Unit	Operational Cost	KMC	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatrician		Staff Nurse						Cleaner/ Ward Ayah/Security		Data Entry Operator		Total Funds released to DHS
							No.	Amount	10	11	12	13	14	No.	Amount	No.	Amount		
1	Agra	1	Agra DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900	
2	Gorakhpur	2	Gorakhpur DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900	
3	Allahabad	3	Allahabad DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900	
4	Jhansi	4	DWH Jhansi	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900	
5	Kanpur	5	Kanpur DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900	
		6	Kanpur Kanstream Hos.	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900	
6	Lucknow	7	Lucknow RML	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900	
		8	Lucknow LBRN	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900	
7	Barabanki	9	Barabanki DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900	
8	Badamun	10	Badamun DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900	
9	Balrampur	11	Balrampur DWH	250000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1797900	
10	Gonda	12	Gonda DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900	

ANE

1

**SNCU New Districts Operational Cost & Contractual HR Funds allocation 2016-17**

Sl. No.	Name of District	S.N.	Name of Unit	Operational Cost	KMC	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatrian		Old, SNs @19060/Month for 6 months	New, SNs @18150 per Month for 3 months	5% increment for Old SNs for 6 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Total Honorarium old & new of Staff Nurse + 5% increment for old SN (7+8)	Cleaner/ Ward Ayah/Security		Data Entry Operator		Total Funds released to DHS
							No.	Amount						No.	Amount	No.	Amount	
1		3	EMR Code	A.2.2.1	6	A.2.2.1.1	A.8.1.3.5.d							A.8.1.11.f		A.8.1.11.f	18	
11	Kaushambi	13	Kaushambi DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
12	Pilibhit	14	Pilibhit DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
13	Sant Kabir Nagar	15	Sant Kabir Nagar DWH	500000	100000	160000	3	643500	8	0	45744	914880	960624	9	172800	1	36000	2572924
14	Shrawasti	16	Shrawasti DWH	500000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1887900
15	Siddhartha Nagar	17	Siddhartha Nagar DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
16	Sitapur	18	Sitapur DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
17	Sonehadra	19	Sonehadra DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
18	Farrukhabad	20	Farrukhabad DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
19	Kannauj	21	Kannauj DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
20	Maharajganj	22	Maharajganj DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
21	Rampur	23	Rampur DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
22	Ambedkar Nagar	24	Ambedkar Nagar DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900

*AW*

2

SNCU New Districts Operational Cost & Contractual HR Funds allocation 2016-17

Sl. No.	Name of District	S.N.	Name of Unit	Operational Cost	KMC	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatician		Old, SNs @19060/Month for 6 months	New, SNs @18150 per Month for 3 months	5% increment for Old SNs for 6 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Total Honorarium old & new of Staff Nurse + 5% increment for old SN (7+8)	Cleaner/ Ward Ayah/Security		Data Entry Operator		Total Funds released to DHS
							No.	Amount						No.	Amount	No.	Amount	
1	2	3	FMR Code	A.2.2.1	6	A.2.2.1.1	A.8.1.3.5.d		10	11	A.8.1.1.2.F	13	14	A.8.1.11.F		17	18	
23	Jalaun	25	Jalaun DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
24	Deoria	26	Deoria DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
25	Mathura	27	Mathura DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
26	Unao	28	Unao DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
27	Amroha	29	Amroha DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
28	Bagpat	30	Bagpat DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
29	Ballia	31	Ballia DWH	500000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1887900
30	Bijnor	32	Bijnor DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
31	Chandauli	33	Chandauli DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
32	Chitrakoot	34	Chitrakoot DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
33	Ferozabad	35	Ferozabad DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
34	Ghaziabad	36	Ghaziabad DWH	500000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1887900

DVE

3

SNCU New Districts Operational Cost & Contractual HR Funds allocation 2016-17

Sl. No.	Name of District	S.N.	Name of Unit	Operational Cost	KMC	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatician		Staff Nurse				Cleaner/ Ward Ayah/Security		Data Entry Operator		Total Funds released to DHS	
							No.	Amount	Old, SNs @19060/Month for 6 months	New, SNs @18150 per Month for 3 months	5% increment for Old SNs for 6 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Total Honorarium old & new of Staff Nurse + 5% increment for old SN (7+8)	No.	Amount	No.		Amount
		FMR Code		A.2.2.1		A.8.1.3.5.d		A.8.1.1.2.F				A.8.1.1.1.F		A.8.1.1.1.F				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
35	Ghazipur	37	Ghazipur DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
36	Hanritpur	38	Hanritpur DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
37	Hathrus	39	Hathrus DWH	250000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1797900
38	Jaunpur	40	Jaunpur DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
39	Kanpur Dehat	41	Kanpur Dehat DWH	250000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1797900
40	Kushi Nagar	42	Kushi Nagar DWH	500000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1887900
41	Mahoba	43	Mahoba DWH	250000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1797900
42	Mainpuri	44	Mainpuri DWH	500000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1887900
43	Mau	45	Mau DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
44	Muzaffarnagar	46	Muzaffarnagar DWH	500000	100000	160000	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	2047900
45	Raibareilly	47	Raibareilly DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
46	Sultanpur	48	Sultanpur DWH	250000	100000	0	3	643500	0	8	0	435600	435600	9	172800	1	36000	1637900
Grand Total (in Rs.)				17750000	4800000	3520000	144	30888000	8	376	45744	21388080	21433824	432	8294400	48	1728000	88414224

AW

4

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,  
विशाल कॉम्प्लैक्स,  
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जनपद-आगरा, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, बदायूं, बलरामपुर, गोण्डा, कौशाम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज, रामपुर, अम्बेडकर नगर, जालौन, देवरिया, मथुरा, उन्नाव, अमरोहा, बागपत, बलिया, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, एवं सुल्तानपुर।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2016-17/

दिनांक 7.10.2016  
/09/2016

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में एस०एन०सी०यू० को क्रियाशील बनाये रखने एवं क्रियाशील किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों के जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) चरणवद्ध रूप से क्रियाशील की जा रही हैं। यह इकाईयां चिकित्सालयों का अभिन्न अंग है।

सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) की क्रियाशील बनाये रखने तथा निर्माणधीन इकाईयों को क्रियाशील करने हेतु इस कार्यालय से प्रेषित पत्रों के माध्यम से धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे इनका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

क्र.सं.	जनपद का नाम	एस०पी०एम०यू० से प्रेषित पत्र संख्या
2	बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, गोण्डा, कौशाम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज एवं रामपुर।	पत्र संख्या- एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2015-16/7301-15, दिनांक 13.10.2015
3	जनपद-आगरा, अमरोहा, बागपत, बलिया, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, इटावा एवं सुल्तानपुर।	पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2015-16/7300-23, दिनांक 13/10/2015 एवं पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2015-16/11916-23, दिनांक 31.03.2016
	इलाहाबाद, झांसी, लखनऊ एवं कानपुर नगर।	पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2015-16/11915-4, दिनांक 31.03.2016
4	अम्बेडकर नगर, जालौन, देवरिया, मथुरा उन्नाव।	पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2015-16/7299-5, दिनांक 31.03.2016

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की आर०ओ०पी० में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाये।

#### 1- Operational Cost

FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कास्ट की धनराशि का 60 प्रतिशत औषधियों, कन्जुमेबिल्स, डायपर, न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु शिशु मिल्क पाउडर (Govt. of india FBNC Operational Guidelines के अनुसार) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि तथा 40 प्रतिशत धनराशि से ए०एम०सी० एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे-मोटे उपकरण के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री एस०एन०सी०यू० इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार क्रय किये जायें प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के

धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु संलग्न तालिका के अनुसार इकाईवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

ऑपरेशनल कॉस्ट मद में ₹0 1.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार एस0एन0सी0यू0 के निकट कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई स्थापित करने हेतु तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि के लिये एस0एन0सी0यू0 के निकट के0एम0सी0 लिये एक अलग कमरा या पृथक स्थान सुनिश्चित करें। जिसमें कम से कम 3 से 6 माताओ के बैठने का स्थान हो। कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि हेतु धनराशि का व्यय निम्नानुसार व्यय किया जायेगा।

One Time Establishment Cost for KMC Space				
S.N.	Item	Unit Needed	Unit Cost	Total Cost
1	Easy Chair (Reclining with foot support)	3	5000	15000
2	Air Conditioner,	1	40000	40000
3	Heater, (Oil Emersion) Room thermometer, Digital Thermometer, wall clock	1 each	11000	11000
*Recliner beds and Almirah , one chair and table , screen slippers for attendants to be ensured from regular supply				
Recurring Cost for KMC Activities				
S.N.	Item	Units Needed	Unit Cost	Total Cost
1	Feeding Equipment (small steel Container with lid, spoon, Paladay	20	200	4000
2	Gown for mothers	50	200	10000
3	Baby wraps with fur/ wool	70	200	14000
4	Clothes for newborn (Disposable , cap, socks, medium size towel)	40 caps, socks, towel	200	6000
*Feeding tubes, resuscitator, soap, cotton, diapers to be ensured from regular Hospital supply				

## 2- Human Resource-

- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code- A.8.1.3.5.d पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के संविदा बालरोग विशेषज्ञों-एम0डी0-पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0 हेतु प्रति इकाई 3 बालरोग विशेषज्ञ हेतु 144 बालरोग विशेषज्ञों के 3 माह के मानदेय हेतु ₹0 71500/- प्रतिमाह की दर से धनराशि का जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-A.8.1.1.2.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में संविदा स्टॉफ नर्सों प्रति इकाई 8 स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु पूर्व से कार्यरत 8 स्टाफ नर्सों को ₹0 19060/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी एवं शेष 376 स्टाफ नर्सों को ₹0 18150/- प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code -A.8.1.11.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में डाटा इन्ट्री आपरेटर- (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 1 डाटा इन्ट्री आपरेटर के मानदेय हेतु 48 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 3 माह का मानदेय ₹0 12000/- प्रतिमाह की दर से जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-A.8.1.11.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 3 सफाई कर्मी एवं 3 वार्ड आया के 144 सफाई कर्मी एवं 144 वार्ड आया के 3 माह का मानदेय हेतु ₹0 6400/- प्रतिमाह की दर से जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- एस0एन0सी0यू0 में FMR Code-A.8.1.11.f पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में नवीन पद सिक्युरटी गार्ड (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) प्रति इकाई 3 सिक्युरटी गार्ड के 144 नवीन पदों हेतु ₹0 6400/- प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न

तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी

### 3- SNCU डाटा मैनेजमेन्ट-

वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 के FMR Code-A.2.2.1.1 पर क्रियाशील इकाईयों में SNCU-Data Management हेतु रू0 1,60,000/- की धनराशि प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार 22 इकाईयों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। शेष इकाईयों हेतु धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

- **SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु रू0 60,000/- की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल का मासिक व्यय कम्प्यूटर प्रिन्टर का रख-रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा।
- **SNCU डाटा मैनेजमेन्ट गतिविधि** हेतु Printing cost for SNCU stationery & Case Recording format हेतु रू0 1,00,000/- की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे Case Record, Monitoring sheet/treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवंटित धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

नोट:-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्क्रेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
9. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।

11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

#### 4- संविदा मानव संसाधन हेतु निर्देश-

1. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
2. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलिटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली/अन्य समकक्ष चिन्हित चिकित्सालय में दिया जाना प्रस्तावित है।

यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

#### 5- डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य एवं दायित्व-

भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सिक न्यूबोर्न इकाईयों हेतु (SNCUs) हेतु नियुक्ति डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा ही जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय मे संचालित "पोषण पुनर्वास केन्द्र" (NRCs) का Data भी online फीड करेंगे तथा इकाई की Database का रखरखाव, online Reporting, चिकित्सालय में संचालित बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करेंगे एवं समय-समय पर राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

#### 6- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) के संविदा मानव संसाधन के भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश-

- वित्तीय वर्ष के दौरान एस0एन0सी0यू0 में अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र करना सुनिश्चित करें।
- संविदा स्टाफ नर्स :- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफ नर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। जिनका मानदेय रू0 18150/- प्रति माह की दर से देय होगा। (सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों (SNCUs) में प्राथमिकता के आधार पर महिला स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाये)
- डाटाइन्ट्री आपरेटर (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)- भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में डाटाइन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने हैं। डाटाइन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000/- प्रति माह की दर से देय होगा। जिसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक पास एवं कम्प्यूटर में ओ0 लेवल डिप्लोमा या एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र (one year certificate course computer application or O- Level Computer Diploma) अनिवार्य है, कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिंग के माध्यम से)- सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) पर सफाई कर्मी/वार्ड आया/सिक्चुरटी गार्ड को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा। प्रति इकाई 3 सफाई कर्मी, प्रति इकाई 3 वार्ड आया, प्रति इकाई 3 सिक्चुरटी गार्ड की तैनाती की जायेगी जिनका मानदेय प्रति रू0 6400.00 प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार ही की जाये। संविदा कर्मियों के चयन हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय।

## 7- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन -

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक आनलाईन रिपोर्टिंग कराया जाना सुनिश्चित करें। एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई-मेल sncureportup@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि अपने जनपद में प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(आलोक कुमार)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2016-17/62(10-46(9)) दिनांक /09/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, जनपद-आगरा, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, कानपुर नगर, मा0 कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर कानपुर नगर, डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, गोमती नगर लखनऊ, लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय कानपुर रोड, लखनऊ, बाराबकीं बदायूं, बलरामपुर, गोण्डा, कौशम्बी, पीलीभीत, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महाराजगंज, रामपुर, अम्बेडकर नगर, जालौन, देवरिया, मथुरा, उन्नाव, अमरोहा, बागपत, बलिया, बिजनौर, चन्दौली, चित्रकूट, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फर नगर, रायबरेली, एवं सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)  
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य